भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या † 2131
दिनांक 20.12.2022 को उत्तरार्थ

राजीव गांधी पंचायती सशक्तिकरण अभियान

†2131.श्रीमती पूनम महाजनः
कुमारी राम्या हरिदासः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजीव गांधी पंचायती सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और केरल सहित राज्य-वार स्वीकृत और जारी की गई धनराशि के बीच भारी अंतर के मुख्य कारण क्या हैं;
(ख) उक्त अवधि के दौरान आरजीपीएसए के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन का महाराष्ट्र और केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का महाराष्ट्र और केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त अभियान क्षमता निर्माण को बढ़ाने में किस सीमा तक सहायक है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान कार्यान्वित की गई राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) स्कीम मांग आधारित थी और इसमें बहु-आयामी गतिविधियां शामिल थीं। आरजीपीएसए की केंद्रीय कार्यकारी समिति द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार राज्यों के वार्षिक योजना प्रस्तावों के आधार पर धनराशि स्वीकृत की गई थी। धनराशि सामान्यतः दो किस्तों में जारी की जाती थी, पहली किस्त स्वीकृत राशि का 50% होती थी, जो रिलीज के समय राज्य के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि में से कटौती करके की गई थी। इसलिए, पहली किस्त जारी करने की मात्रा, राज्य के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि, उपयोगिता प्रमाण पत्र और वास्तविक-वित्तीय प्रगति रिपोर्ट आदि पर निर्भर थी। महाराष्ट्र और केरल राज्य सहित जिन राज्यों में अधिक अव्ययित शेष धनराशि थी और जिन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि

उपलब्ध नहीं कराए थे, वे पूरी धनराशि प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं थे। इस प्रकार स्वीकृत और जारी की गई राशि के बीच का अंतर ज्यादा था।

(ख) और (ग) चूंकि आरजीपीएसए एक मांग आधारित स्कीम थी, इसलिए इसमें कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं थे। वर्ष 2015-16 के दौरान महाराष्ट्र और केरल राज्य सहित राज्यवार स्कीम के तहत वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां **अनुबंध-I** और **II** में दी गई हैं। चूंकि यह स्कीम केवल वर्ष 2015-16 तक लागू की गई थी अत: वर्ष 2016-17 से इस स्कीम के तहत कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

(घ) आरजीपीएसए के तहत, राज्यों ने ई-सक्षमता और संसाधन केंद्रों सहित बड़े पैमाने पर हितधारकों का क्षमता निर्माण किया और प्रशिक्षण प्रदान किया था जिससे पंचायती राज संस्थानों की क्षमता में वृद्धि हुई थी।

****

अनुबंध-I

'राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान' के संबंध में दिनांक 20.12.2022 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2131 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आरजीपीएसए के तहत वर्ष 2015-16 के दौरान स्वीकृत और जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं	**राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश**	**स्वीकृति**	**जारी**
1	आंध्र प्रदेश	21.04	12.5
2	अरुणाचल प्रदेश	2.9	0
3	असम	39.48	17.08
4	बिहार	0	0
5	छत्तीसगढ	29.68	14.64
6	गुजरात	10.36	0
7	हरियाणा	21.81	0
8	हिमाचल प्रदेश	13.12	2.48
9	जम्मू एवं कश्मीर	7.08	0
10	झारखंड	23.89	9.49
11	कर्नाटक	77.76	32.71
12	केरल	10.55	0
13	मध्य प्रदेश	41.63	10.8
14	महाराष्ट्र	39.76	4.5
15	मणिपुर	10.8	5.4
16	मिजोरम	0	0
17	उड़ीसा	19.58	0
18	पंजाब	2.69	2.69
19	राजस्थान	16.37	4.48
20	सिक्किम	2.7	1.26
21	तमिलनाडु	18.26	8.96
22	त्रिपुरा	5.21	1.35
23	तेलंगाना	35.78	13.13
24	उत्तराखंड	9.53	3.09
25	उत्तर प्रदेश	70.54	11
26	पश्चिम बंगाल	37.13	9.91
27	गोवा	2.6	1.06

28	दादर एवं नगर हवेली	0	0
29	दमन एवं दीव	0	0
30	चंडीगढ़	1.33	0.29
31	लक्षद्वीप	4.26	1.65
32	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
	कुल	575.84	168.47

अनुबंध-II

'राजीव गांधी पंचायती सशक्तिकरण अभियान' के संबंध में दिनांक 20.12.2022 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2131 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) के तहत वर्ष 2015-16 के दौरान राज्यों को स्वीकृत गतिविधियां

निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (लाख में)	**67.32**
राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर संसाधन केंद्रों के लिए सहायता	
राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (सं.)	**5**
एसपीआरसी के लिए मानव संसाधन सहायता (राज्यों की संख्या)	**16**
जिला पंचायत संसाधन केंद्र (सं.)	**22**
मानव संसाधन सहायता (राज्यों की संख्या)	**13**
कंप्यूटर और अन्य ई-सक्षमता गतिविधियाँ	
ई गवर्नेंस (पीएमयू)/संसाधन इकाई (राज्यों की संख्या)	**19**
कंप्यूटर, यूपीएस और प्रिंटर (संख्या।)	**612**
पेसा क्षेत्रों में विशेष सहायता (राज्यों की संख्या)	6
नवाचार/ अभिनव गतिविधि (राज्यों की संख्या)	2
कार्यक्रम प्रबंधन एवं आईईसी (राज्यों की संख्या)	27